

# पूर्व मध्य रेल

कार्यालय  
महाप्रबंधक(का)  
हाजीपुर  
दि० 09.01.2015

सं० ईसीआर / एचआरडी / क.क.नि. / सेलेक्शन / 254/ कार्मिक 50%

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण / महेन्द्रू घाट / पटना  
अध्यक्ष / रेल भर्ती बोर्ड / पटना / मुजफ्फरपुर  
मंडल रेल प्रबंधक(का) / पूमरे / दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर  
मुख्य कारखाना प्रबंधक / पूमरे / पीडी-मुगलसराय, समस्तीपुर एवं हरनौत  
प्राचार्य / क्षेत्र०प्र०सं० / भूली एवं मुजफ्फरपुर  
अध्यक्ष / आरआरसी / पटना  
अवर निबंधक / रेल दावा अधिकरण / पटना  
सभी अतिरिक्त यूनिट / पूमरे

## अधिसूचना

**विषय:- 50% कोटे के तहत कार्मिक विभाग के वरिष्ठ लिपिकों से कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक, पीबी- 2, ₹ 9300-34800/- + ₹ 4200/- जीपी पद का चयन।**

कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक पे बैंड-2 ₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4200/- 50% कोटे के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों को भरने हेतु केवल कार्मिक विभाग में कार्यरत वरिष्ठ लिपिकों (ग्रेड पे- 2800) से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

**रिक्तियों की कुल संख्या कुल:-**

**19 ( सामान्य -11, अजा०-04, अजजा-.04)**

**पात्रता की शर्त:-**

पूर्व मध्य रेल स्थित कार्मिक विभाग में कार्यरत **वरिष्ठ लिपिक** (पे बैंड-1 ₹ 5200-20200 ग्रेड पे ₹ 2800/-) जो अधिसूचना की तिथि को कार्मिक विभाग में वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित तीन वर्ष पूरा कर चुके हैं, कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक पे बैंड-2 ₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4200/- के पद पर चयन हेतु पात्र होंगे। वैसे कर्मचारी जो पूर्व मध्य रेल में स्थानान्तरण पर आये हैं, कार्मिक विभाग में वरिष्ठ लिपिक के पद पर पूर्व में की गई सेवायें, यदि हो, तो **आरबीई 34/2006** के अनुसार पात्रता हेतु उनकी सेवा की गणना की जायेगी।

**चयन की प्रक्रिया:-**

(i) **आरबीई 161/2009** के अनुसार यह चयन पूर्णतः प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी एवं नामिका मेरिट के आधार पर बनाई जाएगी। **आरबीई 123/2006** के अनुसार इस चयन के लिए लिखित परीक्षा 50 अंक की होगी तथा निर्धारित कुल अंकों का 50% अंक के समतुल्य वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो 45% से 55% के दायरे में हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 'बहुविकल्पीय प्रश्न', 'खाली स्थान भरना' 'सत्य' या 'असत्य', 'सही या गलत को टिक करना', 'निम्नलिखित को मिलाएं' के रूप में प्रश्नों के अलावा एक शब्द/लाइन के उत्तर, 'हाँ या नहीं' वाले प्रश्न नाम बताने संबंधी प्रश्न आदि भी शामिल हो सकते हैं।

अंजन  
09.01.15

(ii) वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों में किसी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे—काटना, ओवर राइटिंग, लिखा हुआ मिटाना, टिक किया हुआ उत्तर काट देना और किसी अन्य उत्तर को टिक करना, किसी भी प्रकार से उत्तर में परिवर्तन करना इत्यादि।

(iii) पात्र कर्मचारी इसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अग्रिम सूचना समझेंगे। परीक्षा की तिथि 27.02.15 है। उम्मीदवारों को अपने साथ बॉल पेन (काला या ब्लू स्याही) स्वयं लाना होगा। इस कार्यालय से सादा उत्तर-पुस्तिका की आपूर्ति की जाएगी।

(iv) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि संलग्न है।

पूमरे में कार्मिक विभाग में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक जो उपरोक्त वर्णित शर्तों को पूरा करते हों और लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक हों, संलग्न आवेदन पत्र प्रारूप पर अपना आवेदन संबंधित कार्मिक अधिकारी को दिनांक 30.01.15 से पहले अवश्य प्रस्तुत करेंगे। संबंधित कार्मिक अधिकारी कर्मचारियों का सेवा विवरण एवं 03 वर्षों का गोपनीय रिपोर्ट के साथ भरा आवेदन दिनांक 04.02.15 तक वकाधि/एमएण्डई के नाम अग्रसारित कर विशेष वाहक द्वारा एक बंच में भेज देंगे। उक्त तिथि के उपरांत किसी का भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिना निर्धारित प्रोफार्मा, बिना हस्ताक्षर तथा बिना संबंधित कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अतः सभी संबंधित/कार्मिक अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर इसे लगावें तथा इसका व्यापक प्रचार करें एवं यदि कार्मिक विभाग का कोई वरिष्ठ लिपिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हों तो उन्हें भी सूचित करना संबंधित लियन धारित कार्मिक विभाग की जिम्मेवारी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का सेवा विवरण गलत प्राप्त होता है तो उसका उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी। चयन होने के उपरांत भी उम्मीदवारी निरस्त हो सकती है।

संलग्न: यथोक्त।

(ए० पी० श्रीवास्तव)

वकाधि/एमएण्डई

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- मुकाधि के सचिव— मुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
- मुकाधि(प्र०) के निजी सचिव—।। मुकाधि(प्र०) महोदय के सादर सूचनार्थ।
- उपमुकाधि/एचआरडी एवं राजपत्रित।
- वकाधि/आरपी, कोर्ट, आई आर एण्ड डब्ल्यू एवं बिल।
- सकाधि/ईएसएम, राजपत्रित, एमपीपी, बिल एवं आर।
- जीएस/ईसीआरकेयू एवं नोटिस बोर्ड।

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर

अंशु  
03.01.15

PROFORMA

Application for the post of Staff & Welfare Inspector in pay Band-2, ₹ 9300- 34800, GP ₹ 4200/- under 50% quota from Personnel Department.

1. Name of the Employee:-
2. Date of Birth :-
3. Date of Appointment :-
4. Present Designation :-
5. Previous Grade :-
6. Date of entry in the present GP :-
7. Regular three(03) years completed in present GP as on:-
8. Date of entry in previous GP :-
9. Whether belonging to SC/ST :-
10. Educational Qualification :-
11. Other qualification for fulfilling eligibility criteria:-
12. Lien at:-

Attested  
Photograph

I am willing to take up assignment of Staff & Welfare Inspector anywhere in the East Central Railway and I will not ask for repatriation to my parent cadre i.e. I understand that my connection with my parent cadre will be severed for all.

Signature of the applicant

Verified and certified as correct. The applicant strictly fulfil the eligibility criteria.

Controlling Officer.

Personnel Branch Officer

*AM*  
09.01.15

**SYLLABUS FOR THE POST OF STAFF & WELFARE INSPECTOR**  
**(PB ₹9300-34800, GP ₹4200)**

1. Condition of Service, execution of service agreement, Recording of date of birth change in name.
2. Service Records of Non Gazetted staff, preparation of folders & service book etc.
3. Leave Rules, Maintenance of leave account.
4. Increment.
5. Promotion.
6. Fixation of Pay.
7. Preparation of salary Bills, TA and actual expenses.
8. Payment from station earnings.
9. Imprest cash account.
10. Calculation of income tax.
11. Advances & Allowances.
12. PF and special contribution to PF Rules. Preparation of PF papers & applications for special contribution to PF.
13. Pass Rules.
14. Railway Servants conduct Rules.
15. Discipline and Appeal Rules.
16. Railway Pension Rules.
17. Preparation of settlement papers, expeditious payment of settlement dues.
18. Staff Benefit Fund rules, Holiday Home, Mahila Samitee, Canteen Co-operative & Institute Welfare Camp and Re-imburement of tuition fees, Supply of uniforms.
19. Educational assistance rules.
20. Delegation of powers in Establishment matters.
21. Dealing with grievances.
22. Industrial Relations Machineries.
23. Minimum wages Act 1948.
24. Payment of wages Act 1936.
25. Industrial Dispute Act 1947.
26. Workmen Compensation Act 1923 and preparation of compensation papers.
27. Factories Act 1948.
28. House of Employment Regulation, Calculation of over time.
29. Casual labour and substitutes.
30. Role of Staff Welfare Inspector.
31. Raj Bhasha Rules.
32. A general idea of the evaluation of the pay structure and other service condition of govt. Servant and the reports of the various committee and commissions connected there with.
33. Lump sum Ex.gratia Payment.
34. RTI

*AM*  
09.01.15